न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-116RAAJodhpur2024-45RTA223 Dharmendra Vs Arjunlal etc
2024-118RAAJodhpur2024-46RTA223 Dharmendra Vs Arjunlal etc

धर्मेन्द्र पुत्र श्री खिंयाराम जाति सिरवी, निवासी– बेरा जगदम्बा कृषि फार्म, बेडकला तहसील जैतारण, जिला पाली।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. अर्जुनलाल पुत्र चुतराराम जाति सीरवी(बर्फा) निवासी– सुभाष चौक ग्राम भावी, एस.बी. तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
02. अशोक कुमार पुत्र श्री चुतराराम जाति सीरवी (बर्फा) निवासी– सुभाष चौक ग्राम भावी, एस.बी. तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
03. मोतीराम पुत्र श्री सरदारराम जाति ब्राहमण निवासी– कालाऊना, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
04. श्रीमती शांतिदेवी पत्नी श्री मांगीलाल जाति सीरवी(बर्फा) निवासी– बापूनगर विस्तार कॉलोनी, मण्डिया हाऊस पाली, तहसील पाली, जिला पाली।
05. इन्द्रचन्द पुत्र श्री चम्पालाल जाति महाजन(सुराणा) निवासी– C-Inderchand Surana 27B Gandhi Road Cheyyar, Tiruvannmaiai, State Tamildadu Pin Code- 604407.
06. किशनलाल पुत्र श्री चम्पालाल जाति महाजन(सुराणा) निवासी– C-Kishanlal Surana 220, Gandhi Road Cheyyar, Tiruvannmaiai, State Tamildadu Pin Code- 604407.
07. मोतीलाल पुत्र श्री चम्पालाल जाति महाजन(सुराणा) निवासी– C-Motilal Jain 30C/93, Gandhi Road Cheyyar, Tiruvannmaiai, State Tamildadu Pin Code- 604407.
08. मुनादेवी पत्नी श्री जीवराज गौड़, जाति ब्राहमण, निवासी– गायत्री नगर, निम्बाज रोड़, जैतारण, जिला पाली।
09. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23 मार्च 2021 सहायक कलक्टर बिलाड़ा राजस्व मूल वाद संख्या 21/2020 अर्जुनलाल बनाम अशोक कुमार इत्यादि

---

(02)2024-118RAAJodhpur2024-46RTA223 Dharmendra Vs Arjunlal etc

धर्मेन्द्र पुत्र श्री खिंयाराम जाति सिरवी, निवासी– बेरा जगदम्बा कृषि फार्म, बेडकला तहसील जैतारण, जिला पाली।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. अर्जुनलाल पुत्र चुतराराम जाति सीरवी(बर्फा) निवासी– सुभाष चौक ग्राम भावी, एस.बी. तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
02. अशोक कुमार पुत्र श्री चुतराराम जाति सीरवी (बर्फा) निवासी– सुभाष चौक ग्राम भावी, एस.बी. तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
03. मोतीराम पुत्र श्री सरदारराम जाति ब्राहमण निवासी– कालाऊना, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
04. श्रीमती शांतिदेवी पत्नी श्री मांगीलाल जाति सीरवी(बर्फा) निवासी– बापूनगर विस्तार कॉलोनी, मण्डिया हाऊस पाली, तहसील पाली, जिला पाली।
05. इन्द्रचन्द पुत्र श्री चम्पालाल जाति महाजन(सुराणा) निवासी– C-Inderchand Surana 27B Gandhi Road Cheyyar, Tiruvannmaiai, State Tamildadu Pin Code- 604407.
06. किशनलाल पुत्र श्री चम्पालाल जाति महाजन(सुराणा) निवासी– C-Kishanlal Surana 220, Gandhi Road Cheyyar, Tiruvannmaiai, State Tamildadu Pin Code- 604407.
07. मोतीलाल पुत्र श्री चम्पालाल जाति महाजन(सुराणा) निवासी– C-Motilal Jain 30C/93, Gandhi Road Cheyyar, Tiruvannmaiai, State Tamildadu Pin Code- 604407.
08. मुनादेवी पत्नी श्री जीवराज गौड़, जाति ब्राहमण, निवासी– गायत्री नगर, निम्बाज रोड़, जैतारण, जिला पाली।
09. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 15 जनवरी 2024 सहायक कलक्टर बिलाड़ा राजस्व मूल वाद संख्या 21/2020 अर्जुनलाल बनाम अशोक कुमार इत्यादि

उपस्थित–
श्री प्रकाश भाटी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
श्री अर्जुन बोराणा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 8
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 9

नि र्ण य

दिनांक : 03 दिसंबर 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर बिलाड़ा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 21/2020 अनवान अर्जुनलाल बनाम अशोक कुमार इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23 मार्च 2021 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 15 जनवरी 2024 के खिलाफ आलौच्य अपीले अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 20 मार्च 2024 को प्रस्तुत की है। अपीलांट ने दोनो अपीलों में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत कर अपीले प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपीले प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

दोनो अपीलों की विषय–वस्तु, प्रकृति एवं पक्षकारान् एवं कानूनी बिंदु समान होने से एक ही निर्णय में निस्तारित की जा रही है। प्रत्येक अपील में अलग– अलग निर्णय प्रति रखी जावे।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 641 रकबा 1.9335 हैक्टेयर, खसरा नं. 643 रकबा 7.1192 हैक्टेयर, खसरा नं. 644 रकबा 4.5951 हैक्टेयर, खसरा नं. 645 रकबा 12.5314 हैक्टेयर ग्राम कालाऊना, तहसील बिलाड़ा के संबंध धारा 53 एवं 188 आर.टी. एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23 मार्च 2021 पारित कर तहसीलदार बिलाड़ा से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये, जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा अपील संख्या 45/2024 प्रस्तुत की गई। तहसीलदार बिलाड़ा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा वाद अंतिम रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 15 जनवरी 2024 पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील संख्या 46/2024 प्रस्तुत की है। अपीले दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेंट संख्या एक जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ। रेस्पोडेंट संख्या आठ द्वारा काउंटर प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात उभय पक्ष के अधिवक्तागण की अपील पर अंतिम बहस सुनी गई।

अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए अपनी लिखित बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री न्याय के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत होने एवं रेकर्ड पर आये दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 644 व 645 की सहखातेदार प्रत्यर्थी संख्या चार श्रीमती शांतिदेवी से उसका 51/808 हिस्सा पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 18.05.2022 के जरिये खरीद कर प्रतिफल राशि रूपये 12,50,000/– अदा कर मौके पर भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया था। मौके पर अपीलार्थी की ट्यूबवेल खुदी हुई है तथा अपने हिस्से में कृषि की जा रही है। विक्रेता शांतिदेवी एवं उनके आम मुख्त्यार द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में वाद विचाराधीन होने के तथ्य को छुपाया गया है। यदि अपीलांट को पूर्व इस तथ्य की जानकारी होती तो वाद में पक्षकार बनने हेतु आवेदन पेश करता। वादी को इस तथ्य की भली भॉति जानकारी थी कि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी खरीद की जा चुकी है तथा उसके पक्ष में नामांतरकरण की कार्यवाही की जाकर राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज किया जा चुका है, फिर भी वादी द्वारा अपीलांट को पक्षकार संयोजित किये जाने की कार्यवाही नही की। विचारण न्यायालय द्वारा मामले में पक्षकारान् की साक्ष्य लिये बिना ही सीधे ही बहस सुनकर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार बिलाड़ा को विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दे दिये, जो विधिक प्रक्रिया के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व अपीलांट को सूचना हेतु नोटिस ही नहीं दिया तथा एकपक्षीय विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। तहसीलदार द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव पर वादी अर्जुनराम के अलावा किसी भी पक्षकार/खातेदार के हस्ताक्षर नहीं है, जिससे साबित होता है कि विभाजन प्रस्ताव वादी के कहे अनुसार तहसीलदार बिलाड़ा पर मौके पर आये बिना ही कार्यालय में बैठकर तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव में कीमती एवं रास्ते पर आयी भूमि को वादी के हिस्से में रखा गया है तथा शेष भूमि को सामलाती शेष पक्षकारान् के हिस्से में रखा गया है। यह उल्लेखनीय है कि विभाजन प्रस्ताव में अपीलार्थी के नाम का उल्लेख किया गया है तथा अपीलार्थी को अन्य सहखातेदारान् के साथ सामलाती भूमि दी गई है, जिससे यह तथ्य रेकर्ड पर आ चुका था कि अपीलार्थी वादग्रस्त आराजीयात का सहखातेदार है, फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को पक्षकार संयोजित किये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित कर दी। हस्तगत वाद में वादी केवल अर्जुनराम ही है, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के पेज संख्या चार में वादी संख्या एक अर्जुनराम, वादी संख्या दो कुलदीप एवं वादी संख्या तीन के रूप में लीलादेवी का उल्लेख किया है, जबकि ये पक्षकार नहीं है। विभाजन प्रस्ताव में जिन व्यक्तियों को मौतबिर बताया गया है, वे वादग्रस्त आराजीयात के पड़ौसी खातेदार नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिविरूद्ध तैयार विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पाये जाने से अपास्त योग्य है।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपीलो में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर निवेदन किया कि अपीलांट वादग्रस्त आराजी का पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये सद्भाविक क्रेता एवं रेकर्डेड सहखातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदार किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्रीयॉ पारित की गई है, जिससे अपीलांट के हित प्रभावित हो रहे है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को हस्तगत अपीले प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दिया जाना न्याय हित में आवश्यक है।

दोनो अपीलों में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा हल्का पटवारी के वादग्रस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आराजी की जमाबंदी लेने पर वादग्रस्त आराजीयात के हिस्से अलग बताये जाने से जानकारी में आया कि विचारण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। तब अपीलांट द्वारा आलौच्य निर्णय एवं डिक्री की नकले प्राप्त कर जानकारी से अपील अंदर म्यांद प्रस्तुत की है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किये जावे एवं अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाये जाकर दोनो अपीले अंदर म्याद शुमार फरमायी जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बिलाड़ा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 21/2020 अनवान अर्जुनलाल बनाम अशोक कुमार इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23 मार्च 2021 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 15 जनवरी 2024 को खारिज फरमाया जावे एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वह अपीलांट को पक्षकार संयोजित करते हुए उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादी द्वारा वाद प्रस्तुति के समय के समस्त खातेदारान् को वाद में पक्षकार संयोजित करते हुए वाद प्रस्तुत किया था। हस्तगत मामले में अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी होने के पश्चात वाद के विचाराधीन रहते अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी खरीद की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री की अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं ठहरता है। विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित करते समय पक्षकारान् के हक–हिस्से में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया है तथा बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के निर्देश दिये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार तैयार किया गया है तथा वादग्रस्त आराजीयात में अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि को उनके हिस्से में ही सामलाती रखा गया है तथा उनके नाम दर्ज रकबे में किसी प्रकार की कमी नहीं की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा नियमानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की है। अपीलांट्स द्वारा मामले में गुणावगुण पर किसी प्रकार का कोई उज्र नहीं उठाया गया है तथा न ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये उनके

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हक– अधिकारों पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव पड़े जाने का प्रश्न उठाया गया है। ऐसी स्थिति में दोनो अपीले अनुमति बाधित, म्याद बाधित एवं सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

रेस्पोडेंट संख्या आठ के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का समर्थन करते हुए अपनी काउंटर अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या आठ पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्रीयॉ पारित की गई है। वादी द्वार विचारण न्यायालय में प्रस्तुत वाद में रेस्पोडेंट संख्या आठ का गलत पता अंकित किया है, इस कारण रेस्पोडेंट संख्या आठ पर सम्मन की सम्यक तामील नहीं हो पायी। यह भी उल्लेखनीय है कि अदालत हाजा द्वारा जारी सम्मन भी गलत पते पर भेजे जाने से उसे प्राप्त नहीं हुआ। हाल ही में रेस्पोडेंट संख्या आठ द्वारा केवाईसी करवाने हेतु ऑनलाईन जमाबंदी की नकल ली तो अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई। विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत वादी से साक्ष्य लिये बिना ही वाद डिक्री किया है तथा तलब विभाजन प्रस्ताव में पक्षकारान् के राईट का प्रावधान रखे बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी है। ऐसी स्थिति में कांउटर अपील स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को अपास्त फरमाया जावे एवं मामला विधिनुसार निस्तारित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट वादग्रस्त आराजी का पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये वादग्रस्त आराजी का सद्भाविक क्रेता एवं रेकर्डेड खातेदार है। वादग्रस्त आराजी के संबंध में पारित किसी भी निर्णय से उसके हक व अधिकार प्रभावित होना स्वाभाविक है। लिहाजा अपीलांट हस्तगत मामले में अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी ठहरने से न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकारे किये जाते है तथा अपीलांट को अपीले प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जाती है। जहां तक अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या आठ द्वारा अपील एवं कांउटर अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब का प्रश्न है। मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किये जाते है तथा दोनो अपीले एवं काउंटर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23 मार्च 2021 पारित कर वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 641 रकबा 1.9335 हैक्टेयर, खसरा नं. 643 रकबा 7.1192 हैक्टेयर, खसरा नं. 644 रकबा 4.5951 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 645 रकबा 12.5314 हैक्टेयर में वादी के 11899/40905 हिस्से अनुसार बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के जरिये अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या आठ/पक्षकारान् के वादग्रस्त आराजीयात में दर्ज हिस्से में किसी प्रकार का कोई बदलाव किया जाना नहीं पाया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23 मार्च 2021 के पारित होने के पश्चात वादग्रस्त आराजी दिनांक 18 मई 2022 को खरीद की गई है। उससे पूर्व तत्कालीन खातेदार रेस्पोडेंट संख्या चार शांतिदेवी वाद में पक्षकार संयोजित होने से अपीलांट निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं ठहरता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये पक्षकारान् के जमाबंदी में दर्ज हिस्से में किसी प्रकार का फेरबदी नहीं किये जाने से उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है। लिहाजा रेस्पोडेंट संख्या आठ द्वारा काउंटर अपील में निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत उज्र खारिज किये जाते है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा जारी नोटिस क्रमांकःभू.अ./पी.डी.पालना/23/406–411 दिनांक 16.03.2023 के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयारी की तिथि 05.04.2023 नियत कर पक्षकारान् को सूचना हेतु नोटिस जारी किया गया है, जिस पर वादी अर्जुनराम प्रतिवादीगण– अशोक कुमार, शांतिदेवी सहित अन्य मौतबिरान् के हस्ताक्षर है। विभाजन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रस्ताव दिनांक 28.06.2023 के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा विभाजन प्रस्ताव पूर्व नियत तिथी 05.04.2023 के बजाय दिनांक 28.06.2023 को पक्षकारान् की अनुपस्थिति में तैयार किया जाना पाया जाता है तथा पक्षकारान् को पुनः सूचना बाबत नोटिस पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा वक्त विभाजन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना किये बिना तथा पक्षकारान् की अनुपस्थिति मे विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा नियम विरूद्ध प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधिविरूद्ध पाये जाने से अदालत हाजा की राय में पोषण योग्य नहीं ठहरती है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23 मार्च 2021 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 45/2024 स्वीकार योग्य नहीं पायेजाने से तदनुसार खारिज की जाती है। अपील संख्या 46/2024 एवं रेस्पोडेंट संख्या आठ द्वारा अंतिम डिक्री पर काउंटर अपील में प्रस्तुत उज्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये अपील संख्या 46/2024 एवं कांउटर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बिलाड़ा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 21/2020 अनवान अर्जुनलाल बनाम अशोक कुमार इत्यादि में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 15 जनवरी 2024 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार बिलाड़ा से उभय पक्ष की उपस्थिति में बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स बंटवाड़ा प्रस्ताव तलब कर, उस पर पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण करते हुए विधिनुसार अंतिम डिक्री जारी करे। उभय पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 23 दिसंबर 2024 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
जोधपुर